CAN-25 /2024 अधिवक्ता-श्री विष्णु कुलदीप आप.प्र.क्र.-10/2025 पेशी -~~03/02/2025~~ 10/01/25

न्यायालय- श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर, जिला जशपुर छ.ग.

पक्षकारान- हेरमन कुजूर पिता मार्टिन कुजूर, उम्र-51 वर्ष, साकिन- ढेंगनी, थानाआस्ता , जिला-जशपुर छ.ग. विरूद्ध श्रीमती रायमुनी भगत पति श्री तारकेश्वर भगत उम्र-54 वर्ष, साकिन- ग्राम-जशपुर थाना व जिला जशपुर में ~~आदेश दिनांक~~ 06/01/25..... की सत्यप्रतिलिपि ।

II-156
c.j.

Order Sheet[Contd]

Case No----------of 20---------

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
06.01.2025	परिवादी हेरमोन कुजूर सहित श्री विष्णु कुलदीप अधिवक्ता उपस्थित। आरोपी/अनावेदक अनिर्वाहित। प्रकरण पंजीयन पर आदेश हेतु नियत है। परिवादी की ओर से परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. तथा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–175 बी.एन.एस.एस. पेश किया गया है, मगर थाना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, साक्षियों के साक्ष्य और प्रकरण की परिस्थिति एवं आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 175 बी.एन.एस.एस. में उल्लेखित तथ्य को देखते हुए परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. को स्वीकार करते हुए परिवाद पर ही आदेश किया जा रहा है। परिवाद पत्र मे उल्लेखित तथ्यों, दस्तावेजों, सी.डी. पुलिस जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी हेरमोन कुजूर द्वारा जो अपने पंजीयन पूर्व साक्ष्य में परिवाद पत्र का समर्थन कर उसमे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है जिससे ऐसी घटना होने की अभिपुष्टि होती है जिसका अभिसमर्थन परिवादी की ओर से परीक्षित अन्य सभी साक्षियों द्वारा भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है। परिवादी को उक्त बातें सुनकर उसकी भावना आहत होना व्यक्त किया जो इस ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है जिससे अपराध के तात्विक तथ्य आकृर्षित होते तथा प्रस्तावित आरोपिया द्वारा किया गया गंभीर अपराध है वह भी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक द्वारा। परिवादी ने अपने उक्त अभिकथन की संपुष्टि हेतु शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिस पर अविश्वास किये जाने का इस स्तर पर कोई कारण दर्शित नही है।	हेरमोन

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय
प्रतिलिपि अनुभाग

परिवादी द्वारा उक्त घटना के बाद उसके संबंध मे रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु थाना आस्ता जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने जाना मगर रिपोर्ट दर्ज ना कर थाना आस्ता द्वारा धारा 174 बी.एन.एस.एस. के तहत फैना देना व्यक्त किया है जो प्रकरण में संलग्न पावती एवं फैना प्रतिवेदन के अवलोकन से भी दर्शित है, तथा वह परिवादी के कथनों से भी समर्थित है।

उक्त संबंध में यह गौर किए जाने योग्य है कि स्वतंत्र एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का कथन ना तो जाँच प्रतिवेदन में संलग्न है ना ही फैना प्रतिवेदन में ऐसे में बिना बयान के किस आधार पर अपराध घटित नही होना मानते हुए धारा 174 बी.एन.एस.एस. के तहत फैना देना जबकि उक्त प्रावधान एवं प्रक्रिया असंज्ञेय अपराध के संबंध में है जिसके अनुसार –

''जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना दी जाती है तब वह ऐसी सूचना का सार ऐसी पुस्तक में, जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्ररूप में रखी जायेगी जो राज्य सरकार इस निमित्त नियमों द्वारा विहित करे प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट करवाएगा और – (i)सूचना देने वाले का मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा।''

जिससे दर्शित है कि उक्त धारा 174 बी.एन.एस.एस. का प्रावधान संज्ञेय अपराध के संबंध में नही है तथा परिवादी द्वारा उक्त घटना संबंध में थाना आस्ता में कोई कार्यवाही नही होने पर पुलिस अधीक्षक के पास जाना व्यक्त किया है जिसके संबंध में परिवादी द्वारा दिए गये आवेदन की पावती भी प्रकरण में संलग्न है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त संज्ञेय अपराध/घटना के संबंध में थाना आस्ता या पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कोई कार्यवाही नही की गई ना ही थाना को किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।

धारा 173(1) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के किये जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहॉ अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रानिक संसूचना द्वारा पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी और यदि–

(1) मौखिक रूप से दी गई है, तो उसके द्वारा या उसके निदेश के अधीन लेखबद्ध की जायेगी और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी सूचना पर चाहे वह लिखित रूप से दी गई हो या पूर्वोक्त रूप से लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे,

(1) यदि इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा दी गई है, तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी,

और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियमों द्वारा विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा।

धारा–173(1) बी.एन.एस.एस. का प्रावधान आज्ञापक प्रकृति का है– जिसका पालन अनिवार्य रूप से थाना प्रभारी के द्वारा किया जाना चाहिये इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जा चुका है कि प्रत्येक संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी या उसके निर्देशाधीन उसकी प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है।

मगर थाना आस्ता द्वारा इन संज्ञेय धाराओ 196, 299, 302 बी.एन.एस. के संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज नही किया गया।

पुलिस के जाँच प्रतिवेदन और फैना प्रतिवेदन में यह बात तो स्पष्ट है कि उक्त प्रस्तावित आरोपिया रायमुनी भगत भुईहर समाज के कार्यक्रम में गई थी तथा उसके द्वारा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होने के कारण भाषण भी दिया गया है जिसमें धर्म संबंधी भाषण भी था जिससे परिवादी एवं उसके साक्षियों द्वारा अभिकथित तथ्य सत्य एवं सहीं प्रतीत होता है।

प्रस्तावित आरोपिया रायमुनी भगत एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है उसके ऊपर सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का दायित्व है मगर उसके द्वारा ही किसी धर्म, समुदाय के विरुद्ध विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से सार्वजनिक रूप से अपमानित करने वाली बात करना निंदनीय है।

इस परिवाद पत्र में प्रथमदृष्टया परिवादी और साक्षियों के साक्ष्य, संलग्न दस्तावेजों सी.डी. जिसकी प्रमाणिकता हेतु धारा 63(4) भा. साक्ष्य अधि. 2023 का पेश किया गया है का

अवलोकन किया गया। उक्त सी.डी. न्यायालय में चलाकर देखे जाने पर भी आरोपिया रायमुनी भगत द्वारा कथित भाषण दिया जाना प्रतीत हो रहा है, जो कि पुष्टिकारक है। ऐसे में आरोपिया रायमुनी भगत द्वारा कथित भांषण से उक्त संज्ञेय अपराध किए जाने की पुष्टि होती है।

परिवादी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत 2008(2) C.G.L.J. 272(SC) दिलावर सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ दिल्ली तथा 2001 C.G.L.J. 451 सुरेश जैन विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. वगै. का पेश किया गया है, जो कि गौर किये जाने योग्य है।

परिवादी द्वारा तत्कालीन समय में थाना एवं पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत किया गया था मगर कोई भी कार्यवाही करना दर्शित नही है तथा पुलिस द्वारा पेश जाँच प्रतिवेदन से भी ऐसा दर्शित है कि आगे भी कोई कार्यवाही के पक्ष में नही है जिससे **प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए परिवादी द्वारा पेश परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाकर** प्रस्तावित आरोपिया रायमुनी भगत के विरूद्ध प्रथम दृष्टया **धारा 196, 299, 302 भा.न्या.सं. 2023 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किये जाने हेतु पर्याप्त आधार का होना पाया गया है।**

अतः प्रस्तावित आरोपिया रायमुनी भगत के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 196, 299, 302 भा.न्या.सं. 2023 का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है।

प्रकरण आपराधिक पंजी/सी.आई.एस. में विधिवत् दर्ज किया जावे।

परिवाद द्वारा विधिवत् तलवाना अदा किए जाने पर परिवाद पत्र सहित आरोपिया रायमुनी भगत को आरोपी समंस जारी किया जावे।

1.	Application received on	07-01-25
2.	Applicant told to appear	14-01-25
3.	Applicant appeared on	07-01-25
4.	Application (with or without further or correct particulars) [illegible] record-room on	07-01-25
5.	[illegible] on received from [illegible] (with record or [illegible] for further or [illegible])	07-01-25
6.	[illegible] ce for [illegible]	—
7.	[illegible] otice for	—
8.	[illegible] s 6 and 7 [illegible]	—
9.	Copy ready on	07-01-25
10.	Copy delivered or sent on	07-01-25
11.	Court-fees realized-	18/-

Head Copyist Compare Copyist

प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
एवं सत्र न्यायालय
जशपुर